अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर।

संख्या 60 /7–पं0/स्व0भा0मि0(ग्रा0)/2024–25 दिनांकः 4-1-2025

समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जनपद–सुलतानपुर।

विषय– **सामुदायिक शौचालय पर तैनात केयरटेकर मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन पत्र संख्या–1758/33–3– 2020–31/2019 पंचायतीराज अनुभाग–3 दिनांक 15.07.2020 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। उक्त शासनादेश के क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक शौचालय पर तैनात केयरटेकर मानदेय का भुगतान किया जाता है। जिस सम्बन्ध में आज दिनांक 04.01.2025 को निदेशक महोदय के अध्यक्षता में आयोजित वीडियों कान्फ्रेसिंग द्वारा उक्त बिन्दु की समीक्षा किये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा केयरटेकर के मानदेय हेतु निर्धारित ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के हेड O and M for Community Managed Sanitation Complex (SBM-G)(50) में अद्यतन माह तक भुगतान नही किया गया है, जिससे जनपद की प्रगति खराब 10 में थी। जिसके लिए निदेशक महोदय द्वारा खराब प्रदर्शन हेतु नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जबकि उक्त वी0सी0 की सूचना 01 दिवस पूर्व व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से आपको दी गयी थी। परन्तु आप द्वारा उक्त विषय पर न तो समीक्षा की गयी और न ही मानदेय भुगतान की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। यह स्थिति अत्यन्त ही निन्दनीय है।

ग्राम पंचायतों में तैनात सामुदायिक शौचालय पर तैनात केयरटेकर का मानदेय माह दिसम्बर, 2024 तक नियमित रूप से भुगतान ई–ग्राम स्वराज पर निम्नलिखित हेड के अनुसार किया जाय।

Scheme's	Major Head	Minor Head	New Object Head	Description
15th FFC (untide) or 5th FFC	2515-Panchayat Raj programmes	103-Gram Panchayat Programmes	O and M for Community Managed Sanitation Complex (SBM-G)(50)	केयरटेकर का मानदय

उपरोक्तानुसार यह निर्देश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक शौचालय पर तैनात केयरटेकर का मानदेय का भुगतान ई–ग्राम स्वराज पर निर्धारित हेड O and M for Community Managed Sanitation Complex (SBM-G)(50) में ही किया जाय। इसके अतिरिक्त मानदेय हेतु अन्य हेड में भुगतान किया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत सचिव के साथ–साथ सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) का होगा।

अतः उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अभिषेक शुक्ल)
जिला पंचायतराज अधिकारी
सुलतानपुर।

पृष्ठांकन संख्या /7–पं0/स्व0भा0मि0(ग्रा0)/2024–25 दिनाँकित।
प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिलाधिकारी महोदया की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
3– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
4– सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपरोक्त के क्रम में परिपालनार्थ।

जिला पंचायतराज अधिकारी
सुलतानपुर।